प्रेस नोट 07/08/2022

02 शातिर गौ–तस्करों के विरुद्ध की गयी 14(1) गिरोहबन्द एवं असमाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की कार्यवाही, लगभग 01 करोड़ 60 लाख 12 हजार रुपये कीमती 02 भवनों को किया गया कुर्क–

संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.08.2022 को भारी संख्या में मऊ पुलिस व प्रशासन की उपस्थिति में अभियुक्तगण मो0 तैय्यब व तालिब पुत्रगण इमरान निवासीगण मंसूराबाद बरामदपुर थाना मुहम्मदाबाद मऊ, जो आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति है जो अपने तथा अपने साथियों के साथ मिलकर आर्थिक भौतिक व बुनियादी लाभ के लिए गौ तस्करी कर अवैध तरिके से व्यवसाय का लाभ पाते हुए अवैध धन अर्जित किये है तथा अवैध धन से मोहम्मद तैय्यब द्वारा ग्राम मंसूराबाद बरामदपुर में एक मकान का निर्माण कराया गया है जिसका वर्तमान मूल्य 01 करोड़ 52 हजार 663 रूपये है तथा तालिब द्वारा मंसूराबाद बरामदपुर में ही एक मकान का निमार्ण कराया गया है जिसका वर्तमान मूल्य 59 लाख 59 हजार 336 रूपये है, को कुर्क किया गया। उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा उक्त की रिपोर्ट दिनांक 03.08.2022 को जिलाधिकारी मऊ को भेजी गयी थी जिसपर जिलाधिकारी मऊ द्वारा दिनांक 04.08.2022 को उक्त अभियुक्तों द्वारा निर्मित दोनो मकानों को धारा 14(1) गिरोहबन्द एवं असमाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कुर्क करने का आदेश दिया गया।

03 शातिर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध पिस्टल सहित कुल 02 अवैध तमंचा व कारतूस बरामद–

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आज दिनांक 07.08.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर पंकज सिंह चक्रवात पुत्र हंसनाथ निवासी भीटी थाना कोतवाली मऊ के कब्जे से एक अदद पिस्टल 32 बोर व 02 जिंदा कारतूस 32 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ थाना मधुबन पुलिस द्वारा बस स्टैंड मधुबन के पास से चंदन यादव पुत्र विजय निवासी जगधरा थाना पकड़ी बलिया के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व रितेश यादव पुत्र दिनेश निवासी बनकटा थाना पकड़ी बलिया के कब्जे से 03 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में क्रमशः थाना स्थानीय पर अर्न्तगत धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

चोरी की एक इलेक्ट्रिक स्कूटी के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार–

थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा आज दिनांक 07.08.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान कैलाश उर्फ करीमन पुत्र स्व0 संवरु निवासी परसपुरा थाना सरायलखंसी मऊ के कब्जे से एक चोरी की हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटी (यूपी 54 एक्यू 2257) बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त अभियुक्त के द्वारा स्कूटी का नंबर प्लेट बदलकर चलाया जा रहा था, जांच के दौरान उक्त स्कूटी का वास्तविक नंबर यूपी 54 एक्यू 2257 पाया गया जो थाना कोतवाली मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 130/22 से सम्बन्धित पायी गयी। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 440/22 धारा 411,419,420 भादवि में अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में कुल 27 व्यक्ति व 02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 07.08.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा शिवकुमार निवासी गोठा, शैलेश कुमार निवासी नगरीपार, श्याम सुन्दर निवासी महाबलपुर थाना दोहरीघाट, थाना घोसी पुलिस द्वारा महेश राम, रामप्रीत, लक्ष्मी व मनीषा निवासीगण लुदुही थाना घोसी, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा सतीश चंद्र, राहुल, कनहैया, शेखर, अच्छेलाल निवासीगण डांडी खाश, सुशील निवासी भदसा मानवपुर, राधेश्याम व सीताराम निवासीगण लाडनपुर थाना कोपागंज, थाना मधुबन पुलिस द्वारा शंकर वर्मा निवासी उफरौली, अमरजीत, धर्मेन्द्र चौहान निवासीगण नुरुल्लाहपुर, सूरज, नूरआलम व जवाहिर निवासीगण सिपाह इब्राहिमाबाद थाना मधुबन, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा पिंटू बनवासी, पप्पू, किशोर, विनोद निवासीगण महरुपुर, सुजीत व शिवलोचन निवासीगण भांटीकला थाना मुहम्मदाबाद व वारंटी अभियुक्त ज्ञानचंद पुत्र श्याम नरायण, श्याम नरायण पुत्र जन्नन निवासीगण डगौली थाना मुहम्मदाबाद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

10 परिवारों में लौटी खुशियां, 05 दंपति साथ–साथ रहने को हुये राजी–

पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देशन में चलने वाले ऐच्छिक ब्यूरो की बैठक आज दिनांक 07.08.2022 को पुलिस लाईन में सम्पन्न हुयी जिसमें कुल 34 मामले पेश हुए जिनमें 11 मामलों का निस्तारण हुआ तथा बैठक की अगली तारीख 21.08.2022 दी गयी।

इस दौरान एच्छिक ब्यूरो के सदस्यों के प्रयास से कुल 05 दंपति क्रमशः अमित/शशिकला, बिन्दु/रामजीत, शीला/उधम, रामविनय/सोनमती, लक्ष्मी देवी/रामपुकार ने आपसी मतभेद भुलाकर हंसी–खुशी साथ–साथ रहने को राजी हो गये। दो फाईलें बन्द हुई, 07 मामलों में एक पक्ष की उपस्थिति के कारण अगली तारीख 21.08.22 दी गयी, 10 मामलों में पक्षकारों को समझाकर अगली तारीख दी गयी, 06 मामलों में दोनों पक्ष गैरहाजिर रहे, 03 मामलों में ब्यूरो द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु फाइल अग्रसारित की गयी। बैठक में मुख्य भूमिका में एस आई आत्मा सिंह, अर्चना उपाध्याय, सर्वेश दूबे, महिला आरक्षी पुष्पा गुप्ता, सोनी सिंह, प्रीति दूबे व भारी संख्या में पक्षकार उपस्थित रहे।